UPHR010085172025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.)एक्ट, हरदोई।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 698/2025

रामचन्द्र पुत्र स्व० निरंजन निवासी ग्राम दिलदारपुरवा मजरा ररैना थाना बिलग्राम जिला हरदोई।

..... आवेदक

बनाम

1– अजीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह

2– कुण्डन (ड्राइवर) पुत्र अज्ञात

3– लालाराम पुत्र जयचन्द्र

4– आशाराम पुत्र जयचन्द्र

5– रघुवीर पुत्र जयचन्द्र

सर्व निवासीगण ग्राम अंधर्रा थाना सुरसा जिला हरदोई।

..... विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– सुरसा
प्रार्थनापत्र– 3 अ
शपथ पत्र– 4 अ

दिनांकः 11–03–2026

आवेदन

1– यह आवेदन, आवेदक **रामचन्द्र** ने विपक्षीगण **अजीत सिंह, कुण्डन, लालाराम, आशाराम एवं रघुवीर** के विरूद्ध BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने और विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया है।

आवेदन के संक्षिप्त कथन

2– संक्षेप में आवेदक का अपने आवेदन में कथन है कि वह अनुसूचित जाति का है। विपक्षी संख्या 1 सर्वण जाति का है और शेष विपक्षीगण उसके मेली जोली है। विपक्षी संख्या 1 उससे रंजिश मानता है। दिनांक 2–11–2025 को जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था तो समय लगभग 8 बजे, सभी विपक्षीगण उसके खेत पर आये और विपक्षी संख्या 1 ने जातिसूचक गालियां देते हुए उसे व उसके भतीजे सुशील कुमार को लात घूसों व थप्पड़ो से मारापीटा और उसका ट्रैक्टर, कल्टीवेटर व अन्य सामान छीन लिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उपरोक्त घटना को

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2026.03.28 16:37:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साक्षी रामप्रकाश व प्रदीप आदि लोगों ने देखा है। थाने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्यवाही नही की।

थाने की आख्या

3– थाने की रिपोर्ट दिनांकित 9–2–2026 के अनुसार दोनो पक्ष एक ही जाति के हैं तथा विटोली पत्नी जयचन्द्र आवेदक की सगी बहन है और दोनो पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर विवाद है और आवेदक अपना ट्रैक्टर व कल्टीवेटर ग्राम अंधर्रा में छोड़ कर चला गया, किसी ने उसके ट्रैक्टर को लूटा नही है।

4– न्यायालय के आदेश दिनांक 23–1–2026 के द्वारा इन बिन्दुओं पर थाने से आख्या तलब की गयी कि जयचन्द्र को आवेदक का जीजा किस प्रकार से बताया गया है और क्या विपक्षीगण के द्वारा आवेदक को जातिसूचक गालियां दी गयी और उसका ट्रैक्टर लूट लिया गया। थाने की रिपोर्ट दिनांक 6–3–2026 निम्न प्रकार से दी गयी है–

''जयचन्द्र पुत्र स्व० सूबेदार आवेदक के सगे बहनोई थे जिनकी मृत्यु 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आवेदक द्वारा वर्ष 2018 में 16 बीघा जमीन खरीदी गयी थी, जमीन खरीदने के लिए अपने बहनोई जयचन्द्र जो कि विटोली के पति है, से 04 बीघा खेत का पैसा लिया था और कहा था कि पूरे खेत का बैनामा हम करा लेते हैं बाद में 04 बीघा आपको दे देंगे। बैनामा के उपरांत 04 बीघा खेत जयचन्द्र के ही कब्जे में रहा लेकिन जयचन्द्र की मृत्यु होने पर खेत आवेदक द्वारा ले लिया गया। जयचन्द्र की पत्नी विटोली आवेदक की सगी बहन है। आवेदक का ट्रैक्टर ग्राम अंधर्रा में खेती करने आता था और ट्रैक्टर विटोली के यहां ही खड़ा करते थे जब विपक्षीगण द्वारा पैसा मांगा गया तो आवेदक अपना ट्रैक्टर व कल्टीवेटर ग्राम अंधर्रा में ही छोड़ कर चला गया। किसी के द्वारा लूटा नही गया। आवेदक व विपक्षी दोनो ही अनुसूचित जाति के हैं और आपस में सगे रिश्तेदार हैं। आवेदक द्वारा बैनामा करने के उपरांत न तो खेत दिया गया और न ही पैसे वापस किये गये। मारपीट व ट्रैक्टर लूटने आदि की घटना असत्य है।''

5– सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

निष्कर्ष

6– आवेदक का आवेदन निम्न कारणों से अभिकथनों में सत्यता एवं विश्वास उत्पन्न नही करता है और आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

i– आवेदक का नाम रामचन्द्र है और थाने की रिपोर्ट में उसकी बहन का नाम विटोली बताया गया है और जयचन्द्र को उसका बहनोर्ठ बताया गया है। विपक्षीगण लालाराम, आशाराम व रघुवीर, जयचन्द्र के पुत्र हैं। थाने की आख्या के अनुसार विपक्षीगण के द्वारा आवेदक का ट्रैक्टर लूटा नही गया है और थाने की रिपोर्ट पर विश्वास न करने का कोई कारण प्रतीत नही होता है।

ii– आवेदक ने घटना दिनांक 2–11–2025 की बतायी है और यह आवेदन दिनांक 9–12–2025 को योजित किया है जो कि लगभग 36 दिन के विलम्ब से है और विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया है।

iii– आवेदक के द्वारा लात घूसों व थप्पड़ो से मारने पीटने के आरोप लगाये गये हैं परन्तु कोई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नही की गयी है।

iv– आवेदन में किये गये कथनों एवं पुलिस रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन का विवाद है। निर्णय विधि **हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल ए०आई०आर० 1992 SC 604** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि दीवानी मामले को आपराधिक मामले में परिवर्तित करने का प्रयास नही किया जाना चाहिए।

7– उपरोक्त कारणों के आधार पर आवेदक के आवेदन से प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का होना परिलक्षित नही होता है और आवेदक का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः11–03–2026 **(सुनील कुमार सिंह–III)**

विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी(पी०ए०) एक्ट ,

हरदोई।

आई डी–यूपी 6076